संख्या-138/2018/3059/71-2-2018-34/2018

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट एण्ड हास्पिटल,
चकगंजरिया, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 13 नवम्बर, 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपकरण क्रय हेतु अनुमोदित सूची का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-डी0आई0आर0/सी0आई0/80/108/2018, दिनांक 03-10-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में क्रय किये जाने वाले उपकरणों की सूची संशोधित करते हुए लीनियर एक्सीलिरेटर और सहायक उपस्कर क्रय किये जाने और तद्नुसार धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-116/2018/2581/71-2-2018-34/2018, दिनांक 06-9-2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष क्रय किये जाने वाले उपकरणों की सूची अनुमोदित की गयी थी। उपर्युक्त शासनादेश द्वारा अनुमोदित उपकरणों के सापेक्ष संलग्न-सूची-1 एवं 2 में उल्लिखित उपकरण/मात्रा जिनकी कुल अनुमानित लागत रू0 1036.337 लाख है, को क्रय न किये जाने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। अतः शासनादेश दिनांक 06-9-2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेगें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-138/2018/3059(1)/71-2-18-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वित्त अधिकारी, सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।